भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1989

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

महिलाओं को आत्म-रक्षा हेतु अतिरिक्त कौशल प्रदान करना

†1989. डा. विजयलक्ष्मी साधौ

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज महिलायें न तो सड़क पर सुरक्षित हैं और न ही घर की चारदीवारी में सुरक्षित है, महिलाओं को कराटे और जूडो के अलावा आत्म-रक्षा संबंधी कुछ और कौशल का प्रशिक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाये गये इन कदमों से अपहरण और छेड़छाड़ के मामलों में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (ग): भारत के संविधान के सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने, मामला दर्ज करने और अभियोजन चलाने की प्रथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। तथापि, गृह मंत्रालय ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रति व्यापक नीति पर दिनांक 12 मई, 2015 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है जिसमें, अन्य के साथ-साथ, पुलिस के प्रोत्साहन से महिलाओं हेतु आत्मरक्षा के प्रशिक्षण सहित अपनाए जाने वाले विशिष्ट उपायों की आवश्कता का भी सुझाव दिया गया है। इस परामर्शी-पत्र का लिंक निम्नानुसार हैः

http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/AdvisoryCompAppCrimeAgainstWomen_130515.pdf

*****